

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/विविध/562/2012-..... /राँची, दिनांक

कार्यालय आदेश
(आंशिक संशोधन)

विभागीय पत्रांक-1/पी०एम०सी०/विविध/562/2012-1231 दिनांक 04.09.2013 द्वारा जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के अधीन विभिन्न कार्यों के डी०पी०आर० तैयार करने, सर्वे करने एवं मोनिटरिंग इत्यादि कार्यों के लिए कन्सलटेन्ट पैनल को सूचीबद्ध करने हेतु निर्गत आदेश कंडिका-7 के SL.No.-7 में अंकित सूचीबद्ध परामर्शी Lahmeyer International (India) Pvt. Ltd. के TRACTEBEL Engineering Pvt. Ltd. में merge हो जाने के कारण नाम परिवर्तन संबंधी उनके अनुरोध के आलोक में पूर्व निर्गत आदेश में Lahmeyer International (India) Pvt. Ltd. का नाम एवं पता निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है।

पूर्व में निर्गत आदेश में -

Sl. No.	Name of Agency	Address
7	Lahmeyer International (India) Pvt. Ltd.	INTEC House, 37 Institutional Area, Sector-44, Gurgaon-122002. India.

संशोधित करने के उपरान्त -

Sl. No.	Name of Agency	Address
7	TRACTEBEL Engineering Pvt. Ltd.	INTEC House, 37 Institutional Area, Sector-44, Gurgaon-122002, India. E-mail : engineering-in@tractebel.engie.com

प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)


ज्ञापांक :- 1/पी०एम०सी०/विविध/562/2012-..... /राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, जल संसाधन तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों/सभी उपायुक्तों/सभी विभागध्यक्षों/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

ज्ञापांक :- 1/पी०एम०सी०/विविध/562/2012- 330 /राँची, दिनांक 18/04/2018

प्रतिलिपि :- वेब सूचना पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया कार्यालय आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर upload किया जाना सुनिश्चित किया जाय।


18/04/2018
 (राजेन्द्र प्रसाद)
 सरकार के उप सचिव (अभि०)